भाग |||
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें		नहीं।
	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।		सहमत है।
	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें		वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल ओबेदुल्लागंज के द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप, जिला रायसेन स्थित वन परिक्षेत्र चिकलोद, वनखण्ड दीप के कक्ष क्रमांक पी. 776 एवं पी. 777 की 16.268 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि, के औद्योगिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि :6.1.2018
स्थानः भोपाल

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

8/1/18

(विजयकुमार नीमा)
मुख्य वन संरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

6.1.18

E:/cf act year 2012/FCA-1980 proforma.doc

कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 114 **भोपाल, दिनांक** 9 **जनवरी 2018**

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
भू–प्रबंध
म0प्र0 भोपाल

विषयः– औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्र मंडीदीप, जिला रायसेन की 16.268 हेक्टर आरक्षित वनभूमि की वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन की अनुमति बावत्।

संदर्भः– वन मंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औ0गंज का पत्र क्रमांक/मा.चि./01 दिनांक 01/01/2018

---0---

विषयान्तर्गत महा प्रबंधक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप, जिला रायसेन स्थित **वनमंडल ओ0गंज, परिक्षेत्र चिकलोद अंतर्गत वनखण्ड दीप के कक्ष क्रमांक पी. 776 एवं पी. 777 की 16.268 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि, के औद्योगिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन बावत** वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, अनुमति हेतु, वन मंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औ0गंज को प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है।

वन मंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औ0गंज द्वारा उक्त प्रस्ताव, वनमंडल स्तर के भाग 2 की पूर्ती उपरांत दिनांक 01/1/2018 को ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति संदर्भित पत्र के माध्यम से अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उक्त वनभूमि, वर्ष 1983 में जिलाध्यक्ष रायसेन द्वारा उद्योग विभाग को हस्तांतरित की गई हैं एवं आवेदित क्षेत्र पर उघोग, कारखाने एवं विकास कार्य किये गये हैं। परन्तु उक्त वनभूमि निर्वनीकृत नहीं की गई हैं। अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन आवश्यक हैं।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में 452 वृक्ष खड़े हैं।

प्रकरण में उपरोक्तानुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 16.268 हेक्टेयर वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु गैर वनभूमि, वन मंडल दक्षिण सागर में प्रस्तावित की गई हैं। वनमंडलाधिकारी दक्षिण सागर द्वारा 16.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करने हेतु राशि रू 1,08,48,357/– की 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई हैं जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वनसंरक्षक,/पदेन वनसंरक्षक सागर वृत्त सागर के आदेश क्र/व्यय/38 दिनांक 23/6/16 द्वारा जारी की गई है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

अतः वन मंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औ0गंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, **सहमति सहित दो** प्रति में आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(विजय कुमार नीमा) 9/1/18
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 115 **भोपाल, दिनांक** 9 **जनवरी 2018**

प्रतिलिपिः–

1 वन मंडलाधिकारी सा0 औ0गंज की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

2. महा प्रबंधक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल, तवा काम्पलेक्स, बिट्ठन मार्केट भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

9/1/18
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2018.doc

6.1.18